

आदेश

मुख्य आरक्षी नामपूर्ण / 872291139 संतोष कुमार को उनके स्वयं के अनुरोध पर बीमारियों से ग्रसित होने तथा शारीरिक अस्वस्थता के दृष्टिगत अनुकम्पा के आधार पर वाणिज्य कर विभाग की प्रतिनियुक्ति से मूल गहन जनपद बुलन्दशहर वापस किया जाता है।

यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त सूची संख्या:एएसपी-(ई-1)-
(अनुकम्पा)-६०। / 2021 दिनांक २९ . 12.2021 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है:-

DGP HQRS UP LKW

DG-IV-STHA(601)2021968 DATE 29/12/2021

२५/११९
(राहुल मिश्र)

अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना,
निमित्त पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
उ०प्र० लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
संख्या:डीजी-चार-स्था०-(६०।) / 2021/९६८ दिनांक:दिसम्बर २९ , 2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उनके पत्र संख्या:एडी०कमि०(पुलिस)-मु०आरक्षी संतोष कुमार/पुलिस कर्मी/2021-22/वाणिज्य कर दिनांक 20.12.2021 के संदर्भ में इस अनुरोध के साथ कि उक्त मुख्य आरक्षी को तत्काल इस मुख्यालय के प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें, ताकि उसके मूल गहन जनपद बुलन्दशहर हेतु वापस किया जा सकें।
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद बुलन्दशहर।
- प्रभारी प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

- पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
- अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ।